



इलाहाबाद बैंक

एकीकृत जोखिम प्रबंधन विभाग

प्रधान कार्यालय, 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता- 700 001

अनुदेश परिपत्र सं: 16265/आईआरएम/ 2018-19/सतर्कता-05

दिनांक: 05.02.2019

समस्त कार्यालयों एवं शाखाओं हेतु

ऑलबैंक विसल ब्लोअर नीति

केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने दिनांक 28 सितंबर, 2012 को विसल ब्लोअर संबंधी नीति बनायी थी जिसकी समय-समय पर समीक्षा की गई है एवं संशोधन किया गया है।

दिनांक 16 जनवरी, 2018 को आयोजित बोर्ड की पिछली बैठक में उक्त नीति की समीक्षा की गयी थी एवं उसे दिनांक 19.01.2018 के अनुदेश परिपत्र संख्या 15460/आईआरएम/2017-18/33 के द्वारा परिपत्रित किया गया था।

निदेशक मण्डल ने दिनांक 29.12.2018 को आयोजित अपनी बैठक में इसकी समीक्षा की एवं कुछ संशोधनों के साथ विसल ब्लोअर नीति को अनुमोदित किया।

शाखाओं/कार्यालयों को यह सूचित किया जाता है कि वे उक्त नीति (अनुबंध-I) का अध्ययन करें और इसकी विषय-वस्तु को सख्ती से अनुपालन हेतु नोट कर लें।

(एन.एन. साहा)

महाप्रबंधक (आईआरएम) एवं मुख्य जोखिम अधिकारी

ब्हिसल ब्लोअर नीति

बैंक अपने द्वारा संचालित सभी गतिविधियों एवं परिचालनों में उच्च स्तर की नैतिकता, सत्यनिष्ठा और व्यावसायिकता के लिए प्रतिबद्ध है और इसने बैंक में भ्रष्टाचार, कदाचार एवं कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा अधिकारों के दुरुपयोग को जड़ से समाप्त करने के लिए प्रणालियां और प्रक्रियाविधियां निर्धारित की हैं। बैंक स्टाफ सदस्यों/अधिकारियों और ग्राहकों तथा बैंक के संपर्क में आनेवाली आम जनता के साथ कार्य करते समय अथवा लेनदेन करते समय मुक्त एवं पारदर्शी प्रणाली को प्रोत्साहित करता है।

यद्यपि बैंक की एक समुचित शिकायत निस्तारण नीति पहले से ही मौजूद है तथापि सार्वजनिक हित प्रकटीकरण की एक पृथक नीति जो, भारत सरकार के संकल्प दिनांक 17 मई 2004 में निर्धारित है और सूचना देने वाले की सुरक्षा सुनिश्चित करती है वर्तमान में बैंक में मौजूद नहीं है। बैंक चूंकि केन्द्रीय सतर्कता आयोग की परिधि में आता है, अतः भारत सरकार के उपर्युक्त संकल्प के अनुरूप एक सुपरिभाषित नीति का निर्माण आवश्यक है जिससे कर्मचारियों, अधिकारियों, ग्राहकों और आम जनता को पीआईडीपीआई के मानदंडों और विभिन्न उपबंधों के बारे में जानकारी दी जा सके और उन्हें जागरूक बनाया जा सके। बैंक इस प्रयोजन हेतु “आल बैंक ब्हिसल ब्लोअर नीति” नामक नीति ले कर आया है।

प्रस्तावना

- 1.1 संगठन के कर्मचारियों द्वारा जनहित में सूचना का प्रकटीकरण बैंक मामलों में बेहतर गवर्नेन्स मानक और ईमानदारी/पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु सार्वजनिक निकायों में तेजी से स्वीकार्य हो रहा है। बड़े पैमाने पर हुई कारपोरेट धोखाधड़ी से अमरीका में ब्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट और यू.के. में पब्लिक इंटरैस्ट डिस्क्लोजर एक्ट जैसे विभिन्न विधानों के अधिनियमन के माध्यम से जनहित की सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न वैधानिक उपायों की आवश्यकता पड़ी।
- 1.2 भारत में अभी तक ब्हिसल ब्लोअर अधिनियम को अधिनियमित नहीं किया गया है। भारत सरकार ने 21 अप्रैल 2004 को ‘जन हित प्रकटीकरण एवं सूचक संरक्षण’ संकल्प पारित किया जिसमें केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीबीसी) को भ्रष्टाचार अथवा पद के दुरुपयोग के आरोप से संबंधित लिखित शिकायतें अथवा प्रकटीकरण को प्राप्त करने और समुचित कार्रवाई की सिफारिश करने हेतु “नामोद्विष्ट एजेंसी” के रूप में प्राधिकृत किया गया है। इस संबंध में सीबीसी का क्षेत्राधिकार केन्द्र सरकार अथवा इसके द्वारा या किसी केन्द्रीय अधिनियम के अंतर्गत स्थापित निगम, सरकारी कम्पनियों, सोसाइटियों अथवा केन्द्र सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रण वाले स्थानीय प्राधिकरणों के कर्मचारियों तक सीमित है।

- 1.3 भारत सरकार के संकल्प में दिए गए प्रस्ताव के अनुरूप केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने पीआईडीपीआई के अंतर्गत शिकायतें स्वीकार करने और शिकायतकर्ता की पहचान को गुप्त रखने हेतु मानदंड निर्धारित किए हैं।
- 1.4 इलाहाबाद बैंक एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है और केन्द्रीय सतर्कता आयोग की परिधि में आता है। अतः जन हित प्रकटीकरण एवं सूचक संरक्षण (पीआईडीपीआई) हेतु एक समुचित नीति तैयार की गई है जिसका नाम है “आल बैंक व्हिसल ब्लोअर नीति”

उद्देश्य

- 2.1 यह नीति नैतिकता और सत्यनिष्ठा के मानकों को ऊंचा उठाने तथा कर्मचारियों/अधिकारियों/ग्राहकों तथा बैंक के संपर्क में आने वाली आम जनता के साथ कार्य करते समय अथवा लेनदेन करते समय मुक्त एवं पारदर्शी संस्कृति को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से तैयार की गई है।
- 2.2 यह नीति विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार और कदाचार के विरुद्ध निवारक के रूप में कार्य करने और बैंक में प्रणालियों और प्रक्रियाविधियों के पर्यवेक्षण के स्तर को ऊंचा उठाने की दृढ़ इच्छा से लाई गई है।
- 2.3 नीति का उद्देश्य है गड़बड़ी का तत्काल पता लगाना और उसका न्यूनतम संभव समय में निपटान करना। इसे बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों के मध्य प्रसारित किया जाएगा की उनके द्वारा किए गए नामों के प्रकटीकरण की गोपनीयता सुनिश्चित की जाएगी और व्हिसल ब्लोअर को किसी प्रकार के व्यक्तिगत प्रतिशोध जैसे अपमानित करना, परेशान करना अथवा अन्य अनुचित कार्रवाई करना अथवा उसके जनहित प्रकटीकरण के कारण हुई किसी हानि की भरपाई कराने जैसी कार्रवाई से संरक्षण प्रदान किया जाएगा।

संभावना एवं व्याप्ति

- 3.1 नीति के अंतर्गत शिकायतों/प्रकटीकरणों में शामिल होने वाले क्षेत्र हैं - भ्रष्टाचार, पद का दुरुपयोग, दंडनीय अपराध, संदिग्ध/वास्तविक धोखाधड़ी, बैंक के मौजूदा नियमों एवं विनियमों, प्रणालियों एवं प्रक्रियाविधियों के अनुपालन में विफलता, अन्य ऐसे कृत्य जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय हानि/परिचालन जोखिम, प्रतिष्ठा की हानि आदि- हो जो बैंक, जमाकर्ताओं और जनता के हित के विरुद्ध हो।
- 3.2 बैंक के कर्मचारी, ग्राहक, हितधारक, गैर सरकारी संगठन, सिविल सोसाइटी के सदस्य और आम जनता इस योजना के अंतर्गत शिकायतों/प्रकटीकरण दर्ज करा सकते हैं।

नीति के अंतर्गत शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया

- 4.1 शिकायत बंद/सुरक्षित लिफाफे में होनी चाहिए।
- 4.2 लिफाफे पर पता इस प्रकार होना चाहिए -**केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त, इलाहाबाद बैंक. 2 एन.एस. रोड, कोलकाता** और उसके ऊपर “जनहित प्रकटीकरण के अंतर्गत शिकायत” लिखा होना चाहिए।
- 4.3 यदि लिफाफे पर उक्त पंक्ति नहीं लिखी होगी या लिफाफा बंद नहीं होगा तो बैंक के लिए उक्त नीति के अंतर्गत शिकायतकर्ता को संरक्षण देना संभव नहीं होगा ऐसी शिकायतों पर बैंक की सामान्य शिकायत नीति के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
- 4.4 शिकायतकर्ता को अपना नाम और पता शिकायत के आरंभ में अथवा अंत में या संलग्न पत्र में देना चाहिए।
- 4.5 बैंक अज्ञात/छद्म नाम से प्राप्त शिकायतों पर विचार नहीं करेगा।
- 4.6 शिकायत का पाठ सावधानीपूर्वक ड्राफ्ट किया जाना चाहिए जिससे शिकायतकर्ता की पहचान का कोई विवरण या संकेत न मिल पाए।
- 4.7 शिकायत में उल्लिखित विवरण/तथ्य स्पष्ट एवं सत्यापन योग्य होने चाहिए।
- 4.8 व्यक्ति/शिकायतकर्ता की पहचान सुरक्षित रखने के उद्देश्य से बैंक शिकायत की कोई पावती जारी नहीं करेगा।
- 4.9 शिकायतकर्ता की पहचान की पूर्ण गुप्तता एवं गोपनीयता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शिकायतकर्ता से शिकायत के संबंध में किसी अतिरिक्त पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा तथा शिकायतकर्ता को खुद अपने हित में बैंक से पत्र व्यवहार अथवा संपर्क नहीं करना चाहिए।

शिकायत निस्तारण की प्रक्रिया

- 5.1 केन्द्रीय सतर्कता आयोग से प्राप्त समस्त शिकायतों को एक रजिस्टर में क्रम से पूर्ण विवरण सहित दर्ज किया जाएगा अर्थात शिकायत की संख्या और तिथि, प्राप्ति की तिथि, शिकायत में लगाए गए आरोपों/विषयवस्तु का संक्षिप्त विवरण।
- 5.2 बैंक की ओर से शिकायतकर्ता को शिकायत की कोई पावती जारी नहीं की जाएगी।
- 5.3 शिकायत में दिए गए सत्यापन योग्य तथ्यों और आरोपों के अध्यक्षीन मुख्य सतर्कता अधिकारी मामले की जांच कराएगा और मामले में आवश्यक कार्रवाई करेगा।

- 5.4 तथापि, यदि शिकायत की विषयवस्तु का सत्यापन अत्यावश्यक समझा जाता है तो बैंक शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत में उल्लिखित पते/फोन/मोबाइल नं./ई-मेल आईडी पर उससे संपर्क करेगा।
- 5.5 या तो गहन जांच के परिणामस्वरूप या केवल शिकायत के आधार पर बिना जांच के भी, यदि सीवीओ की यही राय है कि मामले की आगे जांच अपेक्षित है तो वह जांच के हिस्से के रूप में संबंधित कर्मचारियों/अधिकारियों से आख्या/प्रत्युत्तर आमंत्रित कर सकता है।
- 5.6 यदि आवश्यक हो तो, सीवीओ शिकायत में उठाए गए मसलों से संबंधित प्रासंगिक कागजात/दस्तावेजों को प्राप्त करेगा और मामले पर तत्काल कार्रवाई आरंभ की जाएगी।
- 5.7 जहां तक संभव हो, मामल की जांच शीघ्रता से पूरी की जाएगी और सीवीसी से शिकायत प्राप्त होने के दो सप्ताह के अंदर जांच रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत की जाएगी।
- 5.8 केन्द्रीय सतर्कता आयोग से ऐसी शिकायतों के आधार पर अनुशासनिक कार्रवाई करने निर्देश प्राप्त होने के बाद सीवीओ मामले पर अनुवर्ती कार्रवाई करेगा और अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा आगे की गई कार्रवाई के अनुपालन की पुष्टि की सूचना देगा और मामले में हुए विलम्ब, यदि कोई हो, के बारे में आयोग को अवगत कराएगा।
- 5.9 इस पूरी प्रक्रिया में शिकायतकर्ता का नाम गोपनीय रखा जाएगा।

शिकायतकर्ता को उपलब्ध संरक्षण

- 6.1 यदि शिकायतकर्ता स्टाफ सदस्य/अधिकारी है तो उसे शिकायत के आरंभ में अथवा अंत में या कवरिंग पत्र पर पना नाम और पता पिन कोड, फोन और मोबाइल नं. एवं ई-मेल आईडी, यदि कोई हो, सहित प्रमुखता से देना चाहिए। इसके अतिरिक्त उसे नाम, पदनाम, शाखा/कार्यलय का नाम जहां वह कार्य करता है, का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख करना चाहिए।
- 6.2 बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि बैंक में किसी संबंधित प्राधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध 'व्हिसल ब्लोअर' का संदेह होने पर कोई दंडात्मक/प्रशासनिक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
- 6.3 शिकायतकर्ता की पहचान तब तक प्रकट नहीं की जाएगी जब तक कि वह स्वयं शिकायत का विवरण सार्वजनिक न करे अथवा अपनी पहचान अन्य व्यक्ति अथवा प्राधिकारी को न बताए।

- 6.4 बैंक केवल इस आधार पर कि शिकायतकर्ता ने योजना के अंतर्गत शिकायत दर्ज की है उसे पीड़ित करने/परेशान करने अथवा उसे भयभीत करने के लिए उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करेगा अथवा कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं करेगा।
- 6.5 यदि कोई व्यक्ति शिकायत अथवा प्रकटीकरण दाखिल करने के कारण उसे पीड़ित अथवा परेशान किए जाने की कार्रवाई से क्षुब्ध होता है तो वह अपनी शिकायत के निवारण हेतु प्रबंध निदेश एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के समक्ष आवेदन दाखिल कर सकता है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक मामले की जांच करेंगे और शिकायत के निवारण हेतु यथोचित कार्रवाई करेंगे।
- 6.6 यदि शिकायतकर्ता बैंक का अधिकारी/कर्मचारी है तो योजना के अंतर्गत उसके द्वारा शिकायत दर्ज किए जाने के प्रतिकार के लिए बैंक उस कर्मचारी/अधिकारी (अर्थात व्हिसल ब्लोअर) के विरुद्ध किसी प्रशासनिक/अनुशासनिक कार्रवाई की सिफारिश नहीं करेगा और उस कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध प्रतिकूल प्रशासनिक/अनुशासनिक कार्रवाई आरंभ किए जाने को रोकने के लिए हर उपाय/कार्रवाई करेगा। तथापि, कर्मचारी/अधिकारी को उसके कदाचार के लिए संरक्षण नहीं दिया जाएगा जो व्हिसल ब्लोअर के रूप में किए गए प्रकटीकरण से संबंधित न हो।
- 6.7 कोई कर्मचारी/अधिकारी जो जानबूझकर अनैतिक और अनुचित परिपाटी के मिथ्या आरोप लगाता है अथवा जानबूझकर गलत आचरण करता है उसके विरुद्ध समुचित अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी और उसे इस नीति के अंतर्गत संरक्षण प्रदान नहीं किया जाएगा।
- 6.8 यदि बैंक को यह पता चलता है कि शिकायत प्रेरित और दुर्भावनापूर्ण है तो यह शिकायतकर्ता के विरुद्ध समुचित कार्रवाई करेगा।

नीति का कार्यान्वयन

- 7.1 "आल बैंक व्हिसल ब्लोअर नीति" की एक प्रति आम जानकारी और सभी स्टाफ सदस्यों/अधिकारियों/ग्राहकों और आम जनता के सूचनार्थ बैंक के सभी शाखा/कार्यालय परिसर के अंदर प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी।
- 7.2 नीति की एक प्रति बैंक की इंटरनेट साइट और बैंक के सतर्कता विभाग की इंटरनेट साइट पर भी प्रदर्शित की जाएगी।